संख्या- 28/5/80- का-4- 2003

प्रेषक,

भुइयाँदीन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4, लखनऊ : दिनाँक : 05 अगस्त ,2003

विषय:- लोक सेवा आयोग,उ0प्र0 को अधियाचन प्रेषित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

समसंख्यक कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 15-11-1999 में यह सुस्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं, कि किसी चयन वर्ष विशेष में घटित होने वाली रिक्तियों की सही गणना सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आयोग को अधियाचन भेजा जाय । अधियाचन भेजे जाने के उपरान्त रिक्तियों में कोई परिवर्तन न किया जाय ।

2. लोक सेवा आयोग द्वारा अवगत कराया गया है, कि उपर्युक्त सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद विभागों द्वारा अधियाचन प्रेषित किये जाने के उपरान्त रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन करने का अनुरोध आयोग से किया जाता है । आयोग द्वारा उक्त कार्यवाही पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है । अत: आपसे यह अनुरोध करने का मुझे पुन: निदेश हुआ है, कि विभिन्न चयनों आदि के संबंध में समसंख्यक कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 15 नवम्बर, 1999 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(भुइयाँदीन)
विशेष सचिव ।

संख्या-28/5/80(1)-का-4-2003, तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(भुइयाँदीन)
विशेष सचिव ।